## छुट्टी की अर्जीका फार्म FORM OF APPLICATION FOR LEAVE (अनुपुरक नियम 216 देखिए) / (See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी : मद 1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरना चाहिए चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित । Note : - Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non gazetted.

- 1. प्रार्थी का नाम / Name of applicant
- लागु होने वाली छुद्दी नियमावली Leave rules applicable
- 3. पद / Post held
- विभाग कार्यालय और अनुभाग
  Department, Office and Section
- 5. वेतन / Pay
- वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भता संबारी भता या अन्य प्रतिकर भते
  House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post.
- 7. मांगी गयी छुट्टी की किस्म अवधि और उसके सूरू होने की तारीख Nature and period of leave applied for and date from which required.
- 8. रिववार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो जिन्हे छुट्टी से पहले / बाद में जोडना जाहते हैं। Sundays and holidays, if any, purposed to be prefixed /suffixed to leave
- छुद्दी का कारण
  Ground on which leave is applied for
- पिछली छुट्टी से लौटने का तारीख और उस छुट्टी की किश्म तथा अविध ।
  Date of return from last leave, and the nature and period of that leave.
- 11. मेरा विचार आगामि छुट्टी मैं ....... के खण्द बर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की कैफियत लेनेकर है / नहीं है । I proposed / do not propose to avail myself of leave travel concession in the block years ...... during the ensuing leave.
- 12. (क) मै वचन देता हैं की औसत वेतन छुट्टी / परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुटटी वेतन और आधे औसत दैसन / आधे औसत की छुट्टी में मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस स्कस की वापस करदुन्गा जो छुटटी की समर्पित पर अधवा उसके दौरान मेरे सेवा निहत होने की स्थिति मे मूल नियम 81 (स) (ii) / संसोधित छुटटी नियमाबली 1933 की नियम 11 (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होतो ।
  - (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay / commuted leave and that admissible during leave on half average pay half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F.R. 81, (b) (ii) rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in the event of any reuirement from service at the end of during the currency of the leave.

- (2) (ख) में बचन देता हुं कि मेरे स्बेच्छा से सेबा निव्नुत होने या सेबा से त्याग पत्र देने तक यादि मैं कमसे कम आधे बेतन की उतिन छुट्टी अर्जित न कर सका जितनी अग्रीम छुट्टी मैंने लि है तो अग्रीम छुट्टी के दौरान ...... जो मूल नियम 81 (ग) संशोधित छुट्टी नियमाबालि 1933 के नियम 11 (घ) के लागु निकए जाने पर मुझे न मिल पाति । मिले छुट्टी के बतन को वापस कर दुगां ।
- I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had F.R. 81 (c) Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of

	तारीख -	प्रार्थी के हस्ताक्षर
	Date :	Signature of applicant
13.	नियन्त्रण अधीकारी की टिप्पणी और या सिफारिश Remarks and or recommendation of the Controlling Officer	
	तारीख/ Date :	हस्ताक्षर / Signature
		पदनाम / Designation

## छुट्टी की अनुमत्यावा के बारे मे प्रमाण पत्र Certificate regarding admissibility of leave (राजपत्रित अधिकारियों के संबंध मे मंहालेखाकार दवारा (By Accountant General in the case of gazetted officers)

14.	प्रमाणित किया जाता है कि			से	तक	f	देन के
	लिए						
	अनुमत्व है ।						•
	Certified that		(Nature of Le	eave) for			from
	toto		to the second se				
			(Period)				
	of theRules.						
	तारीख/ Date :		हस्ताक्षर / Signature				
			पदनाम / Designatio	n	•••••		
15.	स्वीकृति देने वाले अधीकारी के आदेश	स :-					
	Orders of the sanctioning authority	y :-					
	तारीख/ Date :		हस्ताक्षर / Signature	)			
			पदनाम / Designatio	n			

यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकार भता मिलता हो तो मजुरी देने वाले अधीकारी को यह लिखना जाहिए कि छुट्टी पुरी होने पर प्रार्थी की उसी पद पर या किसी एसे पद पर लोटने की आशा है या नहीं यहां इसी प्रकार का भता मिलता हौ ।

If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.